



## SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)  
Sugandha Bhavan  
N.H.By-pass  
P.B.No. 2277  
Palarivattom P.O.  
Kochi - 682 025, India

## स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)  
सुगन्ध भवन  
एन.एच.बाईपास  
पी. बी. नं. 2277  
पालारिवट्टम पी.ओ.  
कोच्ची - 682 025, भारत

Circular No.4/2021-22

Dated 17.6.2021

### CIRCULAR

Sub: Online Submission of Quarterly Export Returns-reg.

As you are aware, as per the terms and conditions for grant of Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES), issued in accordance with the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989 and subsequent Amendments, every Registered Exporter of spices should submit the Export/Purchase/Import Return in the prescribed format on quarterly basis on or before the 10<sup>th</sup> day of every succeeding quarter.

A 'Nil' return for corresponding quarter, should be submitted even though there is no Export/Purchase/Import.

In order to ensure a hassle free submission of the returns, the Board had developed an online system and now the exporters can submit their Quarterly return through online by using the link available at the bottom right side in Home page of website of the Board at [www.indianspices.com](http://www.indianspices.com). The same can be accessed through the Export Support System (ESS) provided by the Board for Sampling and Stuffing process. The login and password for submission of the quarterly export returns is same as that of ESS.

Director (Mktg)

All Registered Exporters

Copy to : Regional offices for necessary action and follow up

(Issued from MKTG/STS/GEN/CIRCULAR/04/2021))



## SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)  
Sugandha Bhavan  
N.H.By-pass  
P.B.No. 2277  
Palarivattom P.O.  
Kochi - 682 025, India

परिपत्र सं. 4/2021-22

## स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)  
सुगन्ध भवन  
एन.एच.बाईपास  
पी. बी. नं. 2277  
पालारिवट्टम पी.ओ.  
कोच्ची - 682 025, भारत

दिनांक : 17-06-2021

### परिपत्र

विषय : त्रैमासिक निर्यात विवरण का प्रस्तुतीकरण -बाबत

जैसेकि आप जानते हैं, मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का पंजीकरण) विनियम,1989 और अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार जारी किए जानेवाले मसालों के निर्यातकर्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस) प्रदान किए जाने की शर्तों व निबंधनों के अनुसार, मसालों का हर एक पंजीकृत निर्यातकर्ता अगली तिमाही के 10 वें दिन को या उससे पहले तिमाही आधार पर मसाला बोर्ड को निर्धारित प्रपत्र में निर्यात/क्रय/आयात-विवरण प्रस्तुत करेगा ।

यद्यपि निर्यात/क्रय/आयात नहीं है, तो भी संबंधित तिमाही के लिए संबद्ध एक 'शून्य' विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

विवरणियों को बिना किसी रुकावट के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है और अब निर्यातक, बोर्ड की वेबसाइट, [indianspices.com](http://indianspices.com) के होम पेज में नीचे दाईं ओर उपलब्ध लिंक का उपयोग करके ऑनलाइन के माध्यम से अपनी तिमाही विवरणी प्रस्तुत कर सकते हैं। सांप्लिंग और स्टफिंग प्रक्रिया के लिए बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्यात समर्थन प्रणाली (ईएसएस) के जरिए इसे एक्सेस किया जा सकता है। तिमाही निर्यात विवरणी प्रस्तुत करने के लिए लॉगिन और पासवर्ड ईएसएस के समान है।

निदेशक(विपणन)

सभी पंजीकृत निर्यातक

प्रतिलिपि : प्रादेशिक कार्यालयों को - आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए